"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, (कक्ष क्र. एम 5-15), महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि, पट्टा अनुबंध के प्रावधानों के अध्यधीन तथा अनुमोदित प्लान के अनुसार पट्टान्तरित भूमि के खण्ड पर सम्पूर्ण अधोसंरचना विकास के पूर्ण हो जाने पर एवं अनुमोदित प्लान के अनुसार उस पर कुल आवासीय इकाईयों के 80% (अस्सी प्रतिशत) निर्माण के पूर्ण हो जाने पर, पट्टेदार लिखित आवेदन द्वारा, 30 वर्ष की अवधि के पट्टे को पूर्ण स्वामित्व हक में परिवर्तित

करने के लिए प्राधिकारी को अनुरोध कर सकता है. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर और उसके सत्यापन के पश्चात् प्राधिकारी, निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों पर पट्टे को पूर्ण स्वामित्व हक में परिवर्तन करेगा :—

(एक) पट्टेदार, प्राधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने की तारीख से एक माह के भीतर, प्रचलित दिशानिर्देशित (गाईडलाईन) दर या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विकास प्रीमियम, जो भी अधिक हो, के अनुसार संगणित कुल भूमि के प्रीमियम की 1% (एक प्रतिशत) के बराबर राशि जमा करेगा;

(दो) पट्टेदार, प्राधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने की तारीख से एक माह के भीतर, 11 वर्ष के वार्षिक पट्टा भाटक (वार्षिक लीज रेन्ट) तथा पट्टे के पूर्ण स्वामित्व हक में परिवर्तन हेतु ऐसी सूचना की तारीख तक का पहले से ही जमा की गई वार्षिक पट्टा भाटक (वार्षिक लीज रेन्ट) के अन्तर की बराबर राशि एकमुश्त जमा करेगा; तथा

(तीन) पट्टेदार, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकृत परिवर्तन विलेख, स्वयं के व्यय पर, प्राप्त करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, **दिनांक** 18 मार्च 2013

क्रमांक एफ 7-2/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-03-2013 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 18th March 2013

NOTIFICATION

No. F 7-2/2011/32.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Visesh Kshetra (Achal Sampatti ka Vyayan) Niyam, 2008, which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft recived from any person before the specified period, during office hours, by the office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, (Room No. M 5-15), Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Mantralaya, New Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rule,—

After the first proviso to rule 4, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that, subject to the provisions of the lease agreement and on completion of development of complete infrastructure on the demised parcel of land as per approved plan and on completion of construction of 80% (Eighty Percent) of total residential units thereon, as per approved plan, the lessee may request the Authority, by written application, to convert the period of lease of 30 years to free hold

ownership. On receipt of such application and after verification, the Authority shall convert the lease to free hold ownership on following terms and conditions :—

(i) The lessee shall deposit within one month, from the date of intimation from the Authority, an amount equal to 1% (One percent) of the total land premium calculated as per the prevailing guideline rate or development premium determined by the Authority, whichever is higher;

(ii) The lessee shall deposit within one month from the date of intimation from the Authority, a lump sum amount equal to difference of 11 years annual lease rent and the annual lease rent already paid till the date of such intimation for conversion of lease to free hold ownership; and

(iii) The Lessee shall get the conversion deed registered under Registration Act, 1908 at his onw cost."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.